76

संख्याः– 711 /XVIII(II)/2013–01(11)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादून दिनांक 02 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2013

विषयः–निर्मला एजुकेशन सोसाइटी ऑफ दि उर्सुलाइन्स ऑफ मेरी ईमाकुलेट,निर्मला कान्वेन्ट,काठगोदाम जनपद नैनीताल को चिकित्सालय निर्माण हेतु ग्राम सीतापुर तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल में 1.5960 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–908/12–जेड0ए0सी0/2012 दिनांक–18.02.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, निर्मला एजुकेशन सोसाइटी ऑफ दि उर्सुलाइन्स ऑफ मेरी ईमाकुलेट,निर्मला कान्वेन्ट,काठगोदाम जनपद नैनीताल को चिकित्सालय निर्माण हेतु ग्राम सीतापुर तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल में 1.5960 है0 भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001)(संशोधन)अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(क)(I) के अन्तर्गत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (चिकित्सालय निर्माण) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है,

.....2.....

अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है, तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग चिकित्सालय निर्माण हेतु ही किया जायेगा।

7– आवेदक को विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियां/अनुज्ञा/अनापत्ति आदि स्वयं प्राप्त करनी होगी।

8– प्रस्तावित चिकित्सालय में चिकित्सक,फर्मासिस्ट,बार्ड बॉय,स्वच्छक की नियुक्ति की जायेगी,तथा चिकित्सालय समस्त जनता की लिये उपलब्ध रहेगा।

9– चिकित्सालय में विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, तथा यूजर चार्जेज की धनराशि न्यूनतम होगी।

10– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

11– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

12– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

14– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0– 711 /समदिनांकित/2013

**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
4– सिस्टर रिटटी,प्रेसिडेन्ट,निर्मला एजुकेशन सोसाइटी ऑफ दि उर्सुलाईन्स ऑफ मेरी ईमालुकेट,निर्मला कान्वेन्ट,काठगोदाम जनपद नैनीताल।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।